

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम- 26)

अज अदालत- अपर जिला कलक्टर, मुकाम- नागौर

अपीलान्ट्स

बनाम





रेस्पोंडेंट्स

1 बाबूराम पुत्र बीजाराम 3 मंगाराम पुत्र बीजाराम 3
मोडाराम पुत्र बुद्धाराम 4 रूपाराम पुत्र बुद्धाराम 5 पदमा
पत्नी बुद्धाराम जातियान जाट निवासी जसवन्तनगर
तहसील खींवर जिला नागौर।

1 हनुमानराम पुत्र नवलाराम जाति जाट निवासी
जसवन्तनगर तहसील खींवर जिला नागौर।
2 तहसीलदार खींवर।

किस्म मुकदमा- राजस्व अपील

सं. 71/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही तय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1.12.23	<p>अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरुद्ध आदेश तहसीलदार खींवर द्वारा पारित आदेश राजस्व/2023/750 दिनांक 07.11.2023 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट्स जरिये सम्मन तलब हो। विचारण न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया जावे। पत्रावली दिनांक 11.12.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> अपर जिला कलक्टर नागौर</p>	<p>1094-95 1.12 (10-2)</p>
11.12.23	<p>वकील अपीलान्ट्स उज. टेलको. के सम्मन पेश हो कर तलबी जारी हो। L.C. का डिक्री तलब हो। पत्रावली दि. 21.12.23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> अपर कलक्टर, नागौर</p>	
21.12.23	<p>पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट्स के अपील के Not Press किया है इस अपीलान्ट्स के अपील Not Press के खातिर ही जारी हो। पत्रावली केवल शुभारंभ हो नोट के वरत डिक्री जारी कर दिया हो।</p> <p style="text-align: center;"> अपर कलक्टर, नागौर</p>	<p>Not from </p>